

29/9/22

पत्रावली पेश हुई वकील माली व अप्तारी  
 को नोटिस तामील करवाने हेतु बार-बार  
 अवसर मिले जाने के उपरान्त भी नोटिस  
 तामील नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश  
 9 नियम 5 C.P.C के तहत खारीज की जाती है,  
 पत्रावली केशल शुमार होकर नम्बर से  
 कम की जाकर दारवील दफतर ही

↓

नाप खण्ड अधिकारी  
 नयावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

